UPST010057352026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–12, सुलतानपुर।

उपस्थित–नीरज कुमार श्रीवास्तव (उच्चतर न्यायिक सेवा)

(J.O.Code–UP2693)

फौजदारी प्रकीर्ण वाद संख्या–254/26

बबिता बनाम विपिन वर्मा आदि

थाना–गोसाईगंज, जनपद सुलतानपुर।

आदेश पत्र

दिनांकः–01.07.2026

प्रार्थिनी बबिता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पर प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को पूर्व तिथि पर सुना जा चुका है। पत्रावली आज आदेशार्थ नियत है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्रार्थिनी का कथन है कि प्रार्थिनी की जन्मतिथि 25.07.2007 है, प्रार्थिनी नटौली इण्टर कालेज में पढ़ती थी। पिछले मार्च 2022 में विपिन वर्मा सुत हृदयराम वर्मा निवासी ग्राम सुदनापुर, थाना गोसाईगंज, जनपद सुलतानपुर ने प्रार्थिनी के साथ विवाह करने का झांसा देकर बराबर शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा। विपिन वर्मा के शारीरिक सम्बन्ध बनाने से वह चार बार गर्भवती हो गयी किन्तु विपिन वर्मा किसी डाक्टर से दवाई लाकर उसको खिला देता था, जिससे गर्भ गिर जाता था। प्रार्थिनी जब भी विपिन वर्मा से विवाह करने के लिये कहती तो विपिन वर्मा कहता कि अभी तुम नावालिग हो जिस दिन बालिग हो जाओगी हम विवाह कर लेंगें। बालिग हो जाने के बाद भी विपिन वर्मा प्रार्थिनी से विवाह करने से टाल मटोल करता रहा तथा किसी ने किसी प्रकार से उसको यह आश्वासन दिला देता था कि घबड़ाओ मत, जल्द ही हम दोनों विवाह कर लेंगें। किन्तु अब विपिन वर्मा, प्रार्थिनी से विवाह करने से इन्कार कर रहा है और उसको यह भी धमकी दिया कि उसके खि–लाफ कहीं भी कोई कार्यवाही करेगी अथवा बयान देगी तो उसको पूरे परिवार सहित जान से खत्म करा देगा। प्रार्थिनी ने उक्त सम्बन्ध में सूचना थाना गोसाईगंज में दिया, जिसकी जानकारी विपिन वर्मा को होने पर वि–पिन वर्मा दिनांक 08.06.2026 को रात्रि 07 बजे लगभग दो अन्य अज्ञात व्यक्तियों के साथ प्रार्थिनी के घर पर गया और बहुत से लोगों की उपस्थिति में उसको जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुये कहा कि वह चमाइन है, अपनी औकात में रहे, जो मजा लेना था वह ले चुका है, अब किसी चमार को देखकर विवाह कर लो, वह उससे विवाह नही करेगा और मां बहन की भद्दी–2 गालियां देते हुये कहा कि उसका कुछ उखाड़ नही पाओगे, थाने पर उसने पैसा देकर हमवार कर लिया है, ज्यादा नेतागिरी व चमारगिरी करोगे तो जान से हाथ धो दोगी। उक्त घटना को प्रार्थिनी के माता पिता व अन्य गांव के लोगों ने देखा। प्रार्थिनी ने उक्त घटना की सूचना थाना गोसाईगंज में दिया, किन्तु उसकी रिपोर्ट दर्ज नही की गयी और न ही अभियुक्तगण के खि–लाफ कोई कार्यवाही हुयी, जिससे अभियुक्तगण का हौंसला काफी बुलंद है। स्थानीय थाना पुलिस द्वारा कोई

कार्यवाही न किये जाने की दशा में प्रार्थिनी ने उक्त घटना के सम्बन्ध में लिखित रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचना श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय सुलतानपुर को दिनांक 11.06.2026 को दिया किन्तु अभी तक कोई कार्यवाही नही हुई, विवश श्रीमान् जी के समक्ष यह प्रार्थना पत्र दे रही है।

3. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र के माध्यम से समर्थित किया गया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी द्वारा उच्चाधिकारियों को भेजे गये प्रार्थना पत्र, की छायाप्रतियां, रजिस्ट्री रसीद मूल संलग्न की गयी है।

4. थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। आवेदिका की मां देवमती द्वारा विपिन के विरुद्ध दिनांक 27.05.26 को थाना स्थानीय पर विपिन के विरुद्ध दिनांक 23.05.26 को पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मु०अ०सं० 189/26 धारा 87 बीएनएस पंजीकृत कराया गया है। पीड़िता को बरामद कर पीड़िता/अपहृता के अंतर्गत धारा 180,183 बीएनएसएस के बयान के अवलोकन व अन्य साक्ष्य के संकलन से मुकदमा उपरोक्त में अंतिम रिपोर्ट दिनांक 30.05.2026 को किता कर माननीय न्यायालय प्रेषित की जा चुकी है। मुकदमा उपरोक्त में अंतिम रिपोर्ट माननीय न्यायालय प्रेषित होने के कारण आवेदिका द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष पुनः प्रार्थनापत्र प्रेषित कर अभियोग पंजीकृत कराना चाहती है। आवेदिका द्वारा दर्शाये गए प्रकरण के सम्बन्ध में थाना स्थानीय के अभिलेखों के अवलोकन से मु०अ०सं० 189/26 धारा 87 बीएनएस के अतिरिक्त उक्त प्रकरण जो प्रार्थनापत्र में आवेदिका द्वारा दर्शाया गया है के सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत होना नहीं पाया गया है।

5. प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अभियुक्त द्वारा प्रार्थिनी को मार्च 2022 से शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाए जाने का कथन करते हुए अन्य आरोप लगाए गए हैं। प्रार्थिनी द्वारा किए गए कथनों के आलोक में थाने की आख्या से विदित होता है कि प्रार्थिनी की मां द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध प्रार्थिनी को बहला फुसला कर भगा ले जाने के सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 189/2026 धारा 87 बीएनएस के अंतर्गत पंजीकृत कराया गाय था। दौरान विवेचना प्रार्थिनी के बयान अंतर्गत धारा 180 व 183 बीएनएसएस व एन्य साक्ष्य के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित किया जाना थाने की आख्या में बताया गया है। उक्त मुकदमे में पुलिस द्वारा समर्पित अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध प्रार्थिनी द्वारा विधिक उपाय अमल में लाया जा सकता है। प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में किए गए कथनों के आलोक में विवेचना कराया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः आवेदिका की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी बबिता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173 (4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(नीरज कुमार श्रीवास्तव)
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या– 12, सुलतानपुर ।
(J.O.Code–UP2693)

<u>दिनांक:–01.07.2026</u>

S.B.YADAV
(STENO)

Digitally signed by NEERAJ KUMAR SHRIWASTAV
Date: 2026.07.01 17:08:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court